## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

संतरा बनाम कमली देवी वगै0

...स्या : अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा. पत्र 87/2020

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 6.09.2022 | पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। उभयपक्ष की प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रा. पत्र के तथ्यों को दोहराया उभयपक्ष द्वारा किये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस स्तर पहुंचा है कि चूंकि मूलवाद विभाजन से संबंधित है अतः उभयपक्ष को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 12/5 रकबा 0.17 है0, 15/5 रकबा 0.06 है0, 7/3 रकबा 0.10 है0, 11/319 रकबा 0.10 है0, 12/3 रकबा 2.40 है0, 12/6 रकबा 0.19 है0, 13 रकबा 0.1 है0, 15/2 रकबा 3.49 है0, 15/4 रकबा 0.12 है0, 16 रकबा 0.01 है0, 36/1 रकबा 0.28 है0, 40/1 रकबा 0.25 है0, 40/3 रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम बिशनसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति मूलवाद के निरस्तारण तक बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल हों।<br><br>सहायक कलेक्टर<br>आमेर मु. जयपुर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested